निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **34** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, अल्मोडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माह 04/2012से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2017 से 22.07.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः प्रथम लेखापरीक्षा

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, अल्मोडा

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13					6.74	6.27		
2013-14					9.09	8.35		
2014-15	-	-			14.06	4.87	-	-
2015-16	-	-			17.27	16.51	-	-
2016-17	-	-			24.34	20.69	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः ---

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढवाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर 1-</u> लंबित वसूली रू 139.34 लाख।

कार्यालय उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच (जुलाई-2017) में पाया गया कि जून-2017 10 विभागों द्वारा रू 16329330/- की वसूली हेतु उप जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा को संदर्भित किया गया था, परन्तु कार्यालय द्वारा जून-2017 तक मात्र रू 35,43,408/- की ही वसूली की गयी थी, एवं रू 1,27,85,922/- की वसूली एवं रू 11,48,243/- संग्रह व्यय की राशि की [(रू 12785922/- रू 1303489/-)*10%] वसूली भी लंबित रखी गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि वसूली की कार्यवाही हेतु शासन द्वारा माहवार दिये गये लक्ष्य के अनुसार वसूली कार्यवाही हेतु संग्रह अमीनों को निर्देशित किया गया है, तथा वसूली की प्रभावी कार्यवाही हेतु बकायेदारों पर उत्पीड़न कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही था, क्योंकि वसूली प्रयास हेतु यदि त्वरित कार्यवाही की जाती तो सम्प्रेक्षा अवधि तक वसूली का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो जाता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'/भाग 3 (क) प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		प्रथम लेखापरीक्षा		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, अल्मोडा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	कु सोनिका	उपजिलाधिकारी	16.03.2012	23.04.2012
2.	श्री अजय अरोरा	उपजिलाधिकारी	24.04.2012	17.06.2013
3.	श्री पंकज कुमार उपाध्याय	उपजिलाधिकारी	18.06.2013	07.02.2014
4.	श्रीमती रिंकू बिष्ट	उपजिलाधिकारी	08.02.2014	27.03.2016
5.	श्री विवेक राय	उपजिलाधिकारी	28.03.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र